क्या केन्द्रीय सूचना आयोग में भी भ्रष्टाचार?

बीमा कंपनीयों में प्रायोजित आर्थिक घोटाले की जानकारी मांगने पर सूचना आयुक्त ए.एन.तिवारी का निर्णय क्या सूचना के अधिकार अधिनियम के विपरित नहीं है ?

नई-दिल्ली : सूचना का अधिकार अधिनियम,२००५ लागू हुए लगभग दोवर्ष बीत जाने के पश्चात अब तक इस कानून की जानकारी आम नागरिकों को धीरे-धीरे हो रही है .देश में यह कानून इसलिये लागू किया गया कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का साधारण भाषा में अर्थ यह है कि यह शासन देश की जनता के द्वारा ही चलाया जा रहा है. इसी लोकतंत्र में भारत के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार होता है कि देश में चल रहे प्रत्येक कार्यकलापों की जानकारी रखे और इसी आधार पर वह अपने जनप्रतिनिधि चुने.

हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक निर्णय केन्द्रीय सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी द्वारा लिया गया है जो यह दर्शाता है कि सूचना आयुक्त तिवारी इस अधिनियम के तहत निर्णय न देकर अपने मनमाने ढंग से निर्णय दे रहे है जो न तो विधिसम्मत है और न ही कानून की परीधी में. सूचना आयुक्त तिवारी ने जो निर्णय दिया है वह कानून के विपरित होकर प्रत्येक नागरिक के मन में एक प्रश्न उत्पन्न कर रहा है कि अब सूचनाएं प्राप्त करना एक दुलर्भ प्रक्रिया बन चुका है और इस प्रक्रिया में सूचना प्राप्त करने वालों को किन-किन परिस्थितयों का सामना करना पड़ता है. सूचना प्राप्त करने वाले और सूचना देने वाले के बीच जो भ्रांतियाँ है उसे सही ढंग से इंटरप्रिंटेशन का कार्य सूचना आयुक्त करते है और सूचना के अधिनियम,२००५ के तहत बनाये गये नियमों का सही इटरप्रिंटेशन निकालकर सूचना देने वाले और सूचना प्राप्त करने वाले के मध्य यह तय किया जाता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत. सामान्यत: सूचनाआयुक्त भी एक लोकसेवक की श्रेणी में ही आते है जो जनता के द्वारा सरकारी खजाने में जमा लोकधन से हर माह वेतन पाते है. लेकिन ऐसा प्रतित होता है कि सूचना आयुक्त अब अपनी मर्यादा भूलकर मनमाने ढंग से निर्णय दे रहे है.

सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी

हाल ही में सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी ने सूचना के अधिकार अधिनियम,२००५ के विपरित जाकर ऐसा निर्णय दिया जो किसी भी तहत विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है. क्योंकि उनके द्वारा दिनांक-३०.१०.०७ को फाईल नम्बर-सीआईसी/एटी/ए/२००७/००९१० रवि कुमार पोत्दार विरूद्व डॉ.आर.के.पुरी एवं अन्य दो के प्रकरण में निर्णय दिया. सूचना आयुक्त के द्वारा दिये निर्णय से ऐसा प्रतित होता है कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम,२००५ के कानून की बारीकीयों से परिचित नहीं है या फिर वे वजनदार पक्ष अर्थात कंपनी के अधिकारीयों को संतुष्ट करने के लिये इस प्रकार के निर्णय दे रहे है. कृपया पृष्ठ क्रमांक ८ पर इसपुरे प्रकरण पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा.

सूचना के अधिकार के तहत ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड से जानकारी मांगने का क्या कारण था.

ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड के इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले मण्डल कार्यालय-जबलपुर में वर्ष २००० में कंपनी के अधिकारीयों और कर्मचारीयों ने आपस में संगन्नमत होकर एक आर्थिक घोटाला प्रायोजित किया गया जिसमें एम.ए.सी.टी. की ३३ फाईलों पर ४१ लाख रूपये का दो बार भुगतान हुआ जिसमें इस प्रकरण अपने अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों को बचाने की नियत से पूर्व क्षेत्रीय प्रबन्धक बी.के. सरकार द्वारा मामले की एफ.आर.आर. दर्ज नहीं की गई और मामले को दबाने की नियत से डॉ.आर.के. पुरी के नेतृत्व में एक फेक्ट फाईडिंग कमेटी को गठित किया गया और जाँच की गई. इस जाँच के पश्चात इस कार्यालय के एक कर्मचारी स्वं. श्री नवीन आर्य सहायक लिपिक पर संपूर्ण जिम्मेदारी सौपी गई जिससे शुब्द होकर उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई और मामले में लिप्त मुख्य आरोपी अधिकारीयों पर कोई कार्रवाही नहीं की गई और उक्त प्रकरण को दबा दिया गया.

इस घटना के पश्चात कंपनी के प्रधान कार्यालय-नई-दिल्ली आडिट विभाग के मेनेजर ने इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के आडिट विभाग के द्वारा की जा रही अनियमिताओं की जाँच हेतु एक कमेटी जिसमें श्री डी.के. पाटणकर एवं श्री एस. राजूमणी थे.
इस कमेटी जाँच के पश्चात दिनांक-०६.०२.२००६ को एक स्पेशल आडिट रिपोर्ट जारी की गई.इस रिपोर्ट में जाँच कमेटी के द्वारा दिनांक-०१.०४.२००० से ०६.०२.२००१ तक न्यायालय द्वारा २९२ अवार्ड पास किये गये जिसमें से जाँच कमेटी के द्वारा २९२ में से ४७ दावा फाईलों को रेडम बेसीस पर चेक करने पर उनमें से ११ एम.ए.सी.टी. की दावा फाईलों में नियमानुसार भुगतान किया गया व ३६ दावा फाईलों पर कंपनी के एम.ए.सी.टी. विभाग के कर्मचारीयों और अधिकारीयों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिये अवार्ड का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण कंपनी को २,३९,५८३/- रूपये की अनाधिकृत आर्थिक हानि हुई. उक्त धनराशी लोकधन से दी गई थी.

इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले मण्डल कार्यालय ग्वालियर में कई वर्षो से एमएसीटी विभाग में चल रहे आर्थिक घोटाले में लिप्त अधिकारीयों, कर्मचारीयों और कंपनी के पेनल अधिवक्ताओं के द्वारा एक षड़यत्र जिसके तहत जब भी एम.ए.सी.टी. दावा प्रकरण में न्यायालय से अवार्ड पारित कियाजाता है उस अवार्ड पर वहाँ पदस्थ अधिकारी कई माह तक यहाँ तक के अनेक प्रकरण में १-२ वर्ष के पश्चात भी धनराशी का विलंम्बित भुगतान अर्थात लोकधन का दुरूपयोग कर प्रदान नहीं की जाती जब न्यायालय में इस संबंध में न्यायालय में प्रार्थी द्वारा कुर्की लगाकर कुर्की का आदेश आता है तो उसे भी कंपनी के अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों द्वारा टालमटोल कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित किया जाता है तथा कई प्रकरणों में तो न्यायालय द्वारा कंपनी बैंक आफ इंडिया फुलबाग ब्रांच-ग्वालियर को यह निर्देश पारित किया कि वह अवार्ड की धनराशी को कंपनी के खाते से काटकर प्रार्थी को देने के निर्देश दिये जिससे कंपनी को शर्मनाक स्थिती का सामना करना पड़ा.

इस प्रकार इस विभाग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी द्वारा अवार्ड पास होने केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति न होने पर अवार्ड का समय पर भुगतान नहीं करने पर कंपनी को केवल इसी कार्यालय द्वारा विगत कई वर्षो में करोड़ों रूपयों का ब्याज की अनाधिकृत आर्थिक हानि उठानी पड़ी है.

इस संबंध में कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक के द्वारा कंपनी के एक अधिकारी श्री अंनत कुमार श्रीवास्तव से मण्डल कार्यालय-ग्वालियर में होने वाली अनियमतिताओं की अनेकों शिकायतों की जाँच कराई गई क्योंकि यह शिकायतें प्रधान कार्यालय-नई-दिल्ली भी भेजी गई.

जहाँ पर एम.ए.सी.टी. विभाग में पदस्थ अधिकारी के द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में जाँच की गई तथा जांच अधिकारी श्री श्रीवास्तव को अनेक प्रकरण की फाईल को देने से इंकार कर दिया और जाँच में सहयोग नहीं किया. विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के एक अधिकारी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति कर इस मामले को दबा दिया . इसी मामले की जानकारी मिलने पर जनहित में उक्त जानकारी मांगी गई थी.

इस संबंध में कंपनी के विजिलेंस विभाग को प्रकरण क्यों नहीं सौपा जा रहा है यह समझ के परे है ?

सरकारी खजाने को लुटने की मॉडस अपरेंडी

एम.ए.सी.टी.दावा क्लेम में कंपनी के अधिकारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिये कैसे तरीके इस्तेमाल कर सरकारी खजाने को कैसे नुकसान पहुंचाते है

कंपनी के प्रधान कार्यालय-नई-दिल्ली के आडिट विभाग के निर्देश पर तत्कालीन आडिट आफिसर डी.के. पाटनकर एवं एस.राजूमणि के द्वारा दिनांक-०६.०२.२००१ को स्पेशल आडिट किया गया तथा इसमें उनके द्वारा केवल ४७ एम.ए.सी.टी. विभाग की दावा फाईलों की जाँच की गई जिसमें से केवल ११ दावा फाईलों में नियमानुसार भुगतान हुआ अन्य ३६ एम.ए.सी.टी. की दावा फाईलों का नियमानुसार भुगतान न करने के कारण कंपनी का २,३९,५८३ रूपये की अनाधिकृत आर्थिक हानि हुई.

From	To	Date
DINESH PATANKAR A.O., IAD CELL, INDORE CAMP- DO-I, JABALPUR	SHRI N.K.SURI DY MGR.I/C IAD CELL, INDORE	06/02/01

Re: Special Audit of DO/I JBP in respect of additional interest paid in MACT case due to delay.

With reference to telephonic instructions of manager, IAD, H.O., New Delhi, received through you on 05.02.2001 , the undersigned along with Shri S.Raju Mani, AO, IAD cell indoor, conducted special audit in respect of the above cited subject.I now encloses finding of the exercise in a statement containing relevant information for your perusal and doing the needful.

Hope , the report will same the purpose.

Encl: as above

Sd/-
06\02\01

आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में उसके द्वारा चाही गई जानकारी /दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में की गई विभिन्न कार्रवाही

सूचना के अधिकार के तहत निम्न जानकारी चाही गई थी-

०१. इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के प्रत्येक मण्डल कार्यालय में ऐसे कितने अधिकारी एवं कर्मचारी है जो विगत तीन वर्षो पश्चात भी कंपनी के नियमविरूद्ध (जाँच रोटेशन प्रक्रिया के विपरीत) एम.ए.सी.टी. विभाग में कार्य कर रहे है, उन अधिकारीयों /कर्मचारीयों के नाम व वह किस दिनांक से किस दिनांक तक इस विभाग में पदस्थ रहे तथा उनकों तीन वर्ष के पश्चात सेन्सेटीव विभाग से हटने वाले कौन से अधिकारी जिम्मेदार है का नाम की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि.

०२. इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले इन्दौर के चारो मण्डल कार्यालयों, मण्डल कार्यालय-उज्जैन, मण्डल कार्यालय -ग्वालीयर, मण्डल कार्यालय क्रमांक-१ व २ जबलपुर, मण्डल कार्यालय-सतना, मण्डल कार्यालय-खण्डवा मे मण्डल कार्यालय-बिलासपुर, मण्डल कार्यालय-दुर्ग, मण्डल कार्यालय क्र-१ व क्र-२, रायपुर, मण्डल कार्यालय-कोरबा में एम.एस.सी.टी. प्रकरणों में न्यायालय द्वारा -

ए- उक्त सभी कार्यालय में वर्ष ०१.०१. ०१ से ०१.०१.०७ तक न्यायालय द्वारा एम.ए.सी.टी. के कितने व किस दिनांक कोअवार्ड पारित किये गये. इस संबंध में निम्न बिन्दुओं की जानकारी का विवरण जिसमें-

१ .केस का टाईटल. २ कोर्ट केस नम्बर ३ डेट ऑफ अवार्ड४ अमाउंट आफ अवार्ड .५टाईम लिमिट फार सेटीसफेक्शन ऑफ अवार्ड.६.अवार्ड प्राप्त होने का दिनांक . ७. डेट आफ सेटीसफेक्शन आफ अवार्ड .८पीरीयड ऑफ डीले इन सेटीसफेक्शन ऑफ अवार्ड .९ रेट आफ इन्टरेंस्ट (अ) ओरिजनल (ब) रीवाइस्ड्आफ्टर टाईम लिमिट. १०.अमाउंट आफ इंटरेंस्ट पेड इन एक्सीस.११ क्या न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुर्की कंपनी के विरूद्ध की गई.१२ क्या कुर्की नहीं होने के पश्चात कितने प्रकरणों न्यायालय ने डायरेक्ट बैंक को पे-आर्डर बनाने का निर्देश दिया.१३ प्रकरण की पैरवी करने वाले कंपनी के अधिवक्ता का नाम.

बी-अवार्ड का समाधान नियत समयावधी में नहीं करने के लिये कंपनी को अतिरिक्त ब्याज देने से कंपनी को हुई अनाधिकृत आर्थिक हानि पहुँचाने वाले कौन से कर्मचारी अथवा अधिकारी जिम्मेदार है , उनके नाम की सूची दी जावे.

सी- कंपनी के पेनल अधिवक्ताओं को फिस का भुगतान कितने समय पश्चात किये जाने के नियम है तथा फिस का भुगतान तुरंत नहीं करते हुए किस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अपने व्यक्तित स्वार्थ के लिये फिस का भुगतान दो तीन माह पश्चात किया जाता है.

०३. कंपनी की पेनल में ऐसे कितने पेनल अधिवक्ता है जिनके विरूद्ध न्यायालय में फौजदारी मुकदमा दर्ज है उसका नाम तथा उसकों कंपनी में नियुक्ति करने वाले अधिकारी का नाम तथा ऐसे पेनल अधिवक्ता के पास कंपनी ने पैरवी के लिये कितने प्रकरण सौपे गये है की जानकारी.

कंपनी के सहा.केन्द्रीय सूचना अधिकारी डॉ.आर.के पुरी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,२००५ के विपरित जाकर अवैधानिक रूप से आवेदन पत्र का निराकरण किया

Regarding information on total number of employees and officers who are working in MACT Department allegedly against the Job Rotation Policy of company, we have to state that the Job Rotation/Transfer and Mobility policy has been framed to meet the organizational needs of the company including judicious distribution of manpower in the present competitive environment ensuring planned career growth, multi skilling and overall development of employees through adequate exposure to various functional areas of the company.

Such TMP/Job Rotation is primarily to facilitate the working of the Company and not to act as an impediment. In order to achieve this goal the policy is implemented in a phased manner. Therefore, this policy is given effect subject to needs of the company and in order to met office exigencies under stipulated limitations decided by top executives of the company. This does not imply that the employees not transferred or rotated are engaged in corrupt activities. We maintain records of rotated/-transferred employees and no such record of non-rotated / a non-transferred employee is maintained by us which is desires by you.

02. Regarding statistics of six years (01.01.2001 to 01.01.2007) on the different issues of MACT awards, we have to state that the desired statistics do not fall under the definition of Information/Record as provided under chapter 1 section 2 (f) & (i) of the RTI act-2005. Hence, the company is not obliged to cater to your personal needs of the said statistics being demanded under the grab of Public interest/company and the country.

03. Regarding information the details of such penal advocates against whom criminal cases are pending before the Courts, we have to state that we do not have any such information with us.

04. If you desire, you may file an appeal with the Appellate Authority whose address is given below-

Shri P.K.JHA,
Central Public Information Officer,
New Delhi.

कंपनी के सहा.केन्द्रीय सूचना अधिकारी डॉ.आर.के पुरी के निर्णय से असंतुष्ट होकर उसके द्वारा कंपनी के अपीलीय अधिकारी एस.के. चानना को की गई प्रथम अपील पर लिया गया निर्णय

अपीलकर्ता की अपील के प्रश्न संख्या १ में मांगी गई सूचना के संबंध में मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, इन्दौर को निर्देश दिया जाता है कि विगत तीन वर्षो में जिन अधिकारीयों/कर्मचारियों के कार्य परिवर्तन प्रक्रिया के तहत संवेदनशील विभागों को बदला गया है उसकी एक सूची अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई जावे.

"अपीलकर्ता की अपील के प्रश्न संख्या २ में मांगी गई सूचना के संबंध में मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, इन्दौर को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा बताए गये मण्डलीय कार्यालयों को निर्दे श दें कि अपीलकर्ता संबंधित मंडलीय कार्यालय से समय लेने के पश्चात मंडलीय कार्यालय में एमएसीटी के मामलों के संबंध में संचिकाओं की जाँच कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते है ".

"अपीलकर्ता की अपील के प्रश्न संख्या २ बी और सी काल्पनिक हैं एवं अधिनियम की धारा-२ में परिभाषित शब्द सूचना के दायरे में नहीं आते हैं. प्रश्न संख्या ३ में जो सूचना दी गई है उसके अलावा कोई और सूचना देना संभव नहीं है एवं अधिनियम की धारा-२ में परिभाषित शब्द सूचना के दायरे में नहीं आता है ".

इस तरह आवेदक की अपील का निस्तारण किया जाता हैं. यदि अपीलकर्ता अघोहस्ताक्षरी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो केन्द्रीय सूचना आयुक्त को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते है-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
ब्लाक-४, पांचवा तल,
पुराना जेएनयू परिसर, नई-दिल्ली.

भारत के केन्द्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त माननीय ए.एन. तिवारी के द्वारा द्वितिय अपील का निराकरण किया और उन्होंने निम्न निर्णय लिये.

Decision : (Item 1 & Item 2(a))

It is obvious from the AA's order that the respondents are willing to provide the information requisitioned by the appellant. The dispute between them and the appellant is whether this information should be collected at one central place and provided to the appellant, or whether the appellant should inspect records held by divisional offices and take copies of documents containing the requisitioned information. While the respondents favour the second course of action given the size and the volume of the information, the appellant prefers the first.

Section 7(9) of the RTI Act entitles the citizen to be provided information in " the form in which it is sought" the only two exceptions being disproportionate diversion of resources on account of the efforts that go into making the information available, and safety or preservation of records in questions.

Respondents have argued that the term "form" in this section refers to the shape or the mode in which an information is sought. The appllant has sought the information in centralized form, this is doubtless his right, but his request-giventhe volume and the multiple location of the information to be provided, falls within the first exception of Section 7(9) , since providing it in the form requested would entail diversion of resources that will be disproportionate to the results achieved.

The AA, therefore, rather than deny the information outcome to the appellant under exception to the Section 7(9), asked him to inspect the records at the source they were held and take out copies/certified copies on payment of fee and cost.

I find the action of the AA bona-fide and wholly credible. There is no reason why an information which is acknowledgedly voluminous, held at multiple points and collecting and collating which would inevitably impose heavy cost on the respondents, be disclosed to the appellant in the form he seek its.

Section 2(j) of the RTI Act describes right to information among others to include

- **(i) inspection of work, document, records:**
- **(ii) taking notes, extracts or certified copies of documents or record**
- **(iii) taking certified samples of material;**
- **(iv) obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device.**

Read with section 7(9), it implies that the respondents may choose the most cost-effective form of disclosing information to an applicant in lieu of the form in which the applicant may wish to have such information, in case in the respondents judgement of form of information requested by appellant would cause disproportionate diversion of their resources.

In that sense too, the decision of the AA is practical or rational.

The decision of the AA is upheld. Respondents are directed that they would prepare a schedule comprising time and the date of each location where the requisitioned information is held (an intimated to the appellant within 3 weeks from the date of the receipt of this order), where the appellant shall be allowed to inspect the documents/records. Respondents shall also simultaneously intimate the the appellant the cost of inspection of documents in terms of Section 7(3) of the RTI act. ON the date and time identified at each divisional Office for inspection, the head of the divisional office of the public authority shall arrange to have two independent witnesses present to certify the readiness of the office to disclose records and the presence of the appellant for inspection on the date and time intimated to him beforehand.

Decision (item 2 (b), 2(c) and 3)

The AA has rightly held that these queries were loaded with presupposition and innuendos. These do not quality to the information under Section 2(f) read with section 2(j) of the RTI Act.

Decision of AA is upheld. There shall be no disclosure requirement regarding these queries.

भारत के केन्द्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त माननीय ए.एन. तिवारी के द्वारा पारित निर्णय कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम,२००५ के विपरित है.

सूचना के अधिकार अधिनियम,२००५ के तहत आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बिन्दु क्रमांक-१ में जो जानकारी/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई थी, उसे कंपनी के एसीपीआईओ डॉ. आर. के. पुरी ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-७ अनुसार कंपनी के सीपीआईओ पी.के.झा को प्रेषित किया जाना था, लेकिन उन्होंने अवैधानिक रूप एव अनाधिकृत रूप से आवेदन पत्र का निराकृत कर दिया व मांगी गई जानकारी को देने से व कंपनी में प्रायोजित हो रहे आर्थिक घोटालों का पर्दाफाश न हो इस कारण सूचना देने इंकार कर दिया.इसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी एस.के.चानना को प्रथम अपील की गई. जिन्होंने चाही गई जानकारी के स्थान पर अवांछित जानकारी प्रदान करने के आदेश दिये. इसके संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी ने अपने निर्णय में यह जानते हुए कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि के स्थान पर अन्य जानकारी प्रदान की जा रही है. उन्होंने अपीलीय अधिकारी एस.के. चानना के निर्णय को उचित ठहराया व उनके द्वारा पारित निर्णय में इस बिन्दु पर किसी प्रकार का निश्कर्ष नहीं दिया. केन्द्रीस सूचना आयुक्त के द्वारा बिन्दु क्रमांक-१ का निराकरण क्यों नहीं किया ?

आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र की कंडिका-२ (ए) में वर्णित कंपनी के इन्दौर स्थित मण्डल कार्यालय क्रमांक-१,२,३ एवं ४ तथा मण्डल कार्यालय- उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, खण्डवा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, व कोरबा के एम.ए.सी.टी. विभाग (तृतीय पक्ष दुर्घटना दावे)जो एक सेन्सेटीव विभाग है, के संबंध में आवेदक द्वारा चाहे गये १३ बिन्दुओं जानकारी चाही गई थी. इसी प्राप्त जानकारी से इस बात का पता चलता कि कंपनी के कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी एवं अन्य लोग मिलकर कंपनी कितने करोड़ की अनाधिकृत आर्थिक हानि पहुँचा रहे है. जिसके संबंध में अपीलार्थी के द्वारा स्पेशल आडिट रिपोर्ट (रिपोर्ट समाचार पत्र के पृष्ठ -६ व ७ पर है) जिसे अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील व द्वितिय के साथ संलग्न कर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में उक्त जानकारी चाही गई थी जिससे कंपनी में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो तथा लोकधन को लुटने वालों पर अकुंश लगे.

इस संबंध मं आवेदक के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-२(जे) के (ii) taking notes, extracts or certified copies of documents or record के तहत जानकारी चाही गई थी. सूचना के अधिकार अधिनियम,२००५ के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह इस अधिनियम की धारा-२(जे) के तहत - (i) inspection of work, document, records अथवा (ii) taking notes, extracts or certified copies of documents or record अथवा (iii) taking certified samples of material अथवा (iv) obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device. सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहने वाले को इन चार विकल्पों में से एक चुनने का अधिकार होता है. कंपनी के अपीलीय अधिकारी एस.के. चानना के द्वारा प्रथम अपील में यह निर्णय लिया जाना चाहिये था कि उन्हें आवेदक द्वारा चाहे गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि /जानकारी को प्रदान करना है अथवा नहीं . अपीलीय अधिकारी एस.के.चानना के द्वारा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश न हो व लोकधन को हड़पने वालों का पर्दाफाश न हो इस नियत अपीलार्थी की प्रथम अपील के इस बिन्दु पर यह निर्णय दिया कि - *"अपीलकर्ता की अपील के प्रश्न संख्या २ में मांगी गई सूचना के संबंध में मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, इन्दौर को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा बताए गये मण्डलीय कार्यालयों को निर्दे श दें कि अपीलकर्ता संबंधित मंडलीय कार्यालय से समय लेने के पश्चात मंडलीय कार्यालय में एमएसीटी के मामलों के संबंध में संचिकाओं की जाँच कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते है"*.

चानना के इस निर्णय के खिलाफ द्वितिय अपील में केन्द्रीय सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी के द्वारा एस.के. चानना के द्वारा प्रथम अपील पर लिये निर्णय को उचित ठहराया व सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-७ (९) के प्रथम एक्जमशन को आधार बनाया. जबकी उक्त एक्झमशन कदापि लागू नहीं हो सकता है क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-४ के अनुसार यह अधिनियम के लागू होने के अर्थात १५ जून २००५ के १२० दिवस में प्रत्येक सरकारी कार्यालयों को अपने संपूर्ण रिकार्ड को व्यवस्थित रखने के निर्देश है तथा जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी इस निर्देश की अव्हेलना करता है उसे इस अधिनियम में शास्ति दिये जाने का प्रावधान है.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-५ अनुसार अधिनियम के लागू होने के अर्थात १५ जून २००५ के १२० दिवस में प्रत्येक सरकारी कार्यालयों प्रत्येक प्रमुख कार्यालयों में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है तथा वह अपनी सहायता के लिये जितने आवश्यक हो (संख्या १ से लेकर १००० भी हो सकती है), सहा.केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक अनुविभागीय स्तर पर या अन्य उप जिला स्तर पर नियुक्त कर सकता है. इस प्रकरण में कंपनी के प्रधान कार्यालय-नई-दिल्ली के सीपीआईओ पी.के. झा के द्वारा विभिन्न मण्डल कार्यालयों व शाखा कार्यालयों में सहा. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्त कर उसकी सहायता से आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थानों से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को दे सकता था. आवेदक के प्रकरण में भी कंपनी के सीपीआईओ पी.के झा अपने अधिनिस्थ कार्यालयों के एसीपीआईओ की मदद से १३ बिन्दुओं पर मांग गई वांछित जानकारी उपलब्ध करा था व इस कार्य के लिये उसको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि कंपनी के नियमानुसार समन रजीस्टरऔर अवार्ड रजीस्टर मेंटन किये जाते है जिससे आसानी से उक्त १३ बिन्दुओं की जानकारी एकत्रित की जा सकती थी. सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी को अपीलार्थी ने द्वितिय अपील की सुनवाई के दौरान इस तथ्य से अवगत कराने के पश्चात कि चाही गई जानकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जिस रूप में मांगी गई है उसी रूप में उसे प्रदान किया जाना चाहिये था लेकिन सूचना आयुक्त के द्वारा धारा-७ (९) का आधार बनाकर अपीलीय अधिकारी चानना के निर्णय को उचित व बोनाफाईड बताया जबकी उक्त एक्जमशन लागू नहीं होता है , द्वितिय अपील पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी अपीलार्थी के इस तर्क पर सहमत हुए लेकिन उन्होंने अपने निर्णय में अपने विचार क्यों बदले यह बात समझ के परे है?

कंपनी के एसीपीआईओ डॉ. पुरी एवं कंपनी के सीपीआईओ पी.के. झा के द्वारा अपीलार्थी की द्वितिय अपील पर केन्द्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त तिवारी को, जो जवाब प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति सेन्ट्रल इंर्फोमेशन कमीशन (मेनेजमेंट) रेग्यूलेशन, २००७ की धारा-१२ के अनुसार अपीलार्थी को उसका प्रतिउत्तर देने हेतु दी जानी थी. लेकिन भ्रष्टाचार का पर्दाफाश न हो इस कारण इन दोनों अधिकारीयों ने उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया. इस बात का जिक्र अपीलार्थी ने जब सूचना आयुक्त ए.एन.तिवारी ने अपीलार्थी की बात को जानबूझकर नंजरअंदाज किया व उक्त दस्तावेजों की प्रति को देने से इंकार किया . इसके अतिरिक्त अन्य कई दस्तावेजों को प्रकरण की सुनवाई के दौरान कंपनी के सीपीआईओ ने प्रस्तुत किया जिसे सूचना आयुक्त ने रिकार्ड पर लिया और इनकी प्रति अपीलार्थी को नहीं दी गई सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय में इन दस्तावेजों पर विश्वास कर निर्णय पारित किया व निश्कर्ष दिया. ऐसा प्रतित होता है कि सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी कंपनी को सूचना न देने के लिये मदद कर रहे है .

माननीय सूचना आयुक्त ए.एन.तिवारी अपने आदेश में अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र की कंडिका-२ (ए) में चाही गई जानकारी के संबंध में अपने निर्णय में यह लिखा कि- -"There is no reason why an information which is acknowledgedly voluminous, held at multiple points and collecting and collating which would inevitably impose heavy cost on the respondents, be disclosed to the appellant in the form he seek its". जबकी अपीलार्थी जिन १३ बिन्दुओं पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई थी, के संबंध में प्रथम व द्वितिय अपील के साथ संलग्न आडिट आफिसर डी.के. पाटणकर व एस राजूमणि की स्पेशल आडिट रिपोट (रिपोर्ट समाचार पत्र के पृष्ठ -६ व ७ पर हैं), जो कंपनी में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार को इंगित करती है व कंपनी के लोकसेवकों द्वारा लोकधन को किस तरह लुटाया जा रहा है दर्शाती है. केन्द्रीय सूचना आयुक्त के द्वारा अपने आदेश में उक्त तथ्य लिखाना क्या कंपनी के सीपीआईओ को अनावश्यक रूप से मदद करने का प्रयास तो नहीं ?

अपीलार्थी के द्वारा द्वितिय अपील की सुनवाई के दौरान उसके द्वारा मौखिक तर्क के अलावा लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा उसमें कंपनी के अपीलीय अधिकारी एस.के. चानना और सीपीआईओ पी.के.झा. और सहा. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी डॉ. पुरी को सूचना देने की रीति में असद्भावनापूर्वक बाधा उत्पन्न करने के लिये सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-२०(१) व (२) में वर्णित शास्ति के लिये निवेदन लेकिन केन्द्रीस सूचना आयुक्त ए.एन.तिवारी के द्वारा अपने निर्णय में कारण उल्लेख करना था कि कंपनी के तीनों उक्त अधिकारी ये शास्ति पाने के अधिकारी क्यों नहीं है. क्या सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी का यह कृत्य निंदनीय नहीं है.

आवेदन की कंडिका-२ (बी) २(सी) व ३ के निर्णय में सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी के द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्णय जिसमें उसके द्वारा बिन्दु क्रमांक-२ से जो जानकारी प्राप्त होती उसके आंकड़ों का जिक्र करना तथा कंपनी की पेनल में वकीलों के फिस के बारे में बनाये गये नियम व ऐसे कितने अधिवक्ता है जो कंपनी के पेनल में है तथा उन पर फौजदारी मुकदमा चल रहा है, से संबंधी जानकारी को काल्पनिक बताया जाना क्या यह नहीं दर्शाता है कि केन्द्रीय सूचना आयुक्त कंपनी का फेवर कर रहे है. क्या सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ अब समाप्त हो चुका है.?